कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री टेकबुक्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ए-37, सेक्टर-60, नोएडा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**052 / 14, 05.11.2014**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री टेकबुक्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ए-37, सेक्टर-60, नोएडा द्वारा दिनांक 05.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Whether rendering media services of all kinds including developing print or printable content or media content in the right formats based on raw data / designs / financial reports provided by customers and providing hard print copies or putting final version on electronic media or websites of the customers amounts to any sale activity including any deemed sales in the form of works contract and if yes whether this is subject to liability to pay vat under the provisions of UP VAT Act and if yes at what rate ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 04.10.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, नोएडा के पत्र संख्या-490, दिनांक 08.12.2014 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि उनके द्वारा कस्टमर की ओर से प्राप्त इन्पुट्स के आधार पर साफ्टवेयर का डेवलपमेन्ट किया जाना और ऐसे डेवलपमेन्ट साफ्टवेयर को विभिन्न मीडिया के रूप में ग्राहकों को आपूर्ति किये जाने का कार्य संविदा के अन्तर्गत आयेगा अथवा नहीं और यदि आयेगा तो इस पर कर की दर क्या होगी ?

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि चूँकि उनके द्वारा साफ्टवेयर को डेवलेप करने और तत्पश्चात उसको हस्तान्तरित करने में विभिन्न फारमेट में विभिन्न मीडिया से हस्तान्तरित करने में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अत: उन्हें कुछ सलाहकारों द्वारा यह सलाह दी गयी है कि यह कार्य सेवा कार्य के अन्तर्गत आयेगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय प्रकाश में हैं जिनमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें मैटीरियल का उपयोग हो भले ही नगण्य मात्रा में हो, ऐसा कार्य संविदा कार्य के अन्तर्गत आता है।

किसी भी वस्तु अथवा संव्यवहार पर करदेयता बनती है अथवा नहीं, इसका निर्णय केवल एक बिन्दु

....2

पर निर्भर करता है वह बिन्दु यह है कि कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके लिय कार्य कर रहा है और उस कार्य के लिए जो मूल्यवान प्रतिफल उससे प्राप्त कर रहा है उस मूल्यवान प्रतिफल के बदले उसे वस्तु हस्तान्तरित हो रही है अथवा नहीं ? यदि वस्तु हस्तान्तरित होती है तो ऐसे संव्यवहार निश्चित तौर पर बिक्री की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार वस्तु हस्तान्तरित करने वाला व्यक्ति जो वह वस्तु उसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में, उस पर करदेयता बनती है।

अत: व्यापारी के द्वारा किया गया कार्य साफ्टवेयर की बिक्री है। इस प्रकार ग्राहकों से प्राप्त समस्त मूल्यवान प्रतिफल साफ्टवेयर पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-5 के आधार पर 4% की दर से करदेयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी बुद्धि, कौशल तथा मैटीरियल कम्प्यूटर, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि का उपयोग करते हुए साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का कार्य किया जाता है तथा ऐसे साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट की आपूर्ति ग्राहकों को विभिन्न मीडिया फारमेट जैसे- Print, Web, Online, Database, E-Books एवं Wireless Devices इत्यादि के माध्यम से की जाती है जिसके लिए प्रार्थी द्वारा मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया जाता है। अत: उनके द्वारा किया गया कार्य उस मूल्यवान प्रतिफल के बदले उस वस्तु पर है। अत: ऐसे संव्यवहार निश्चित रूप से बिक्री की श्रेणी में आते हैं इसलिए प्रार्थी के द्वारा किया गया कार्य उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-5 `` IT software or any media. " से आच्छादित होने के कारण 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त इन्पुट के आधार पर साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का कार्य किया जाता है तथा डेवलेप साफ्टवेयर के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त करते हुए उसकी आपूर्ति की जा रही है। अत: प्रार्थी का यह कार्य बिक्री का संव्यवहार है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-5 से आच्छादित है जिस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।